भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः100
22 नवम्बर, 2011 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम सी आई द्वारा प्रेक्षकों को विदेश भेजना

100. **श्री सैयद अज़ीज़ पाशाः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम सी आई) को विश्व के प्रत्येक देश, जहां चिकित्सा कॉलेज हैं, में प्रेक्षक भेजने चाहिए ताकि एम सी आई को चिकित्सा की डिग्रियों को मान्यता देने में समर्थ किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो एम सी आई ने ऐसे कितने देशों में ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेक्षक या निरीक्षक भेजे हैं;

(ग) क्या एम सी आई ने ऐसे निरीक्षक नेपाल या बांग्लादेश में भी भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कब भेजे गए थे और उन्होंने क्या किया ?

उ त्त र
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)

(क) से (घ): भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बने विनियम के प्रावधान के अनुसार इस समय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा ऐसे देशों जहां विनिमय का प्रावधान था, को छोड़कर विदेशी चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता निरीक्षण जांच करने के लिए कोई प्रेक्षक नहीं भेजा जाता है। तथापि, जहां तक स्नातक चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता का संबंध है, वर्ष 2002 से स्क्रीनिंग जांच के आरम्भ होने के साथ प्रेक्षकों को भेजने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

जहां तक स्नातकोत्तर अर्हताओं का संबंध है, इन पर स्क्रीनिंग जांच विनियम लागू नहीं होते हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ उचित परामर्श के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी स्नातकोत्तर डिग्रियों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। हाल ही में, भारतीय चिकित्सा परिषद ने सुविधाओं का मूल्याकंन करने के लिए प्रेक्षकों को मनीपाल आयुर्विज्ञान

महाविद्यालय, पोखरा, नेपाल और यूनिवर्सल कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, भैराहावा, नेपाल भेजा था।